

न्यायालय उपस्रण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीयसीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह (R.A.S)

मिसल नं०
06/दावा/2022

तारीख दायर
24.01.2022

तारीख फैसल
13.02.2024

1. कमल प्रकाश पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
2. कलावती पत्नी स्व० दुर्गा शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
3. जगनीबाई पत्नी गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
4. गेन्दबिहारी, कालु लाल, हेमराज पिसरान स्व० मोडु लाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
5. रामजानकी, कश्मीर बाई, कलावती, रमेश बाई पुत्रीया स्व० मोडु लाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
6. रघुनन्दन पुत्र दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
7. राममोहनी पुत्री दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
8. संतोष पुत्र दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान

.....वादीगण

बनाम

1. भंवरा बाई पुत्री स्व० प्रभु लाल जाति महाजन निवासी केशवराय मन्दिर के पास के० पाटन तहसील के० पाटन जिला बून्दी, C/O परमेश्वर आ० प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
2. विष्णु बाई पुत्री स्व० प्रभु लाल जाति महाजन निवासी गणेशनगर कोट जिला कोट, C/O परमेश्वर आ० प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
3. मनफुल बाई पुत्री स्व० प्रभु लाल जाति महाजन निवासी केशवराय मन्दिर के पास के० पाटन तहसील के० पाटन जिला बून्दी, C/O परमेश्वर आ० प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
4. परमेश्वर आ० प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
5. श्रीकल्याण आ० प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
6. भगवान आ० प्रभुलाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
7. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तहसील तालेडा जिली बून्दी।

.....प्रतिवादीगण



उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीगण:-
अधिवक्ता अप्रार्थी:-

श्री अनिल खिडिया

8.12.24

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88, 89 आर्टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 108 पुराना 98 खसरा संख्या 645 रकबा 1.1088 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1655 हैक्टेयर वाके ग्राम सेंदडी पटवार हल्का देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। जिसमें वादीगण खातेदार के रूप में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है किन्तु पूर्व में वादीगण के पूर्वजों द्वारा रहन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता प्रभुलाल जी के रहन रख दी गई थी जिसे वादीगण के पिता ने उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादीगण के पिता स्व० प्रभुलाल जी से रहन मुक्त भी करवा ली थी किन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी से रहन नहीं हटवाया था। वादीगण के बाल्यावस्था में ही वादीगण के पिता गोपाल जी का देहांत हो चुका था उक्त भूमि वादीगण के पिता के देहांत के पूर्व में ही रहन चली आ रही है उक्त भूमि के रहन होने से वादीगण को केंसीसी बनवाने व सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाना आवश्यक है। वादीगण ने दिनांक 20.11.2021 को प्रतिवादीगण से उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाने का आग्रह किया जिसे प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया तथा रहन मुक्त करवाने से भी इंकार कर दिया। इस प्रकार उक्त दिनांक को वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाकर वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 108 पुराना 98 खसरा संख्या 645 रकबा 1.1088 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1655 हैक्टेयर वाके ग्राम सेंदडी पटवार हल्का देहित तहसील तालेडा से प्रतिवादीगण का दर्ज राहिन का नोट हटकर इन्द्राज दुरस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में खाता संख्या नया 108 पुराना 98 खसरा संख्या 645 रकबा 1.1088 हैक्टेयर व खसरा संख्या 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1655 हैक्टेयर वाके ग्राम सेंदडी पटवार हल्का देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी संवत् 2076-2076 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र श्री मोडु लाल मीणा का पेश किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बाद तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण की ओर से वादी कमल प्रकाश आ० गोपाल , वादी गेन्दबिहारी आ० मोडुलाल, वादी कालुलाल आ० मोडुलाल एवं वादी हेमराज आ० मोडुलाल जाति मीणा निवासी सेंदडी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किए।

वकील वादी द्वारा बहस हेतु लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं० 645 रकबा 1.1088, खसरा सं० 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.1655 हैक्टेयर वाके ग्राम सेंदडी हल्का पटवार देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिस पर वर्तमान में वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं उक्त भूमि पर पूर्व में प्रभुलाल वल्द चतुर्भुज कौम महाजन निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी का राहिन का नोट अंकित चला आ रहा है। वादीगण के पूर्वजो ने स्व० प्रभुलाल का कर्ज अदा कर दिया था किन्तु पूर्वजो ने राहिन का नोट नहीं हटवाया चुंकि मोडुलाल जी की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण मोडुलाल के वारिसान ने प्रभुलाल के वारिसान के विरुद्ध राहिन हटाने के लिये वाद प्रस्तुत किया था। समस्त प्रतिवादीगण उक्त वाद में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त जमाबन्दी में नोट होने के कारण वादीगण को बैंक ऋण एवं अन्य सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। जमाबन्दी संवत् 2076 प्रदर्श 1 है। इस प्रकार वादीगण न्यायालय श्रीमान् के आदेश से राहिन का नोट हटाने का अधिकारी है। जमाबन्दी में वादीगण का नियमानुसार विभाजन भी हो चुका है तथा वादीगण के बीच में कोई भी विवाद शेष नहीं है। अतः उक्त जमाबन्दी से मु०बि०क०

नोट हटवाये जाने के आदेश फरमाये जाकर एक तहरीर तहसीलदार महोदय तालेडा को प्रेषित करावे।

बहस लिखित पक्ष का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य शपथ पत्रों से स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 108 पुराना 98 वाके ग्राम सेन्दडी पटवार मण्डल देहित पर प्रभूलाल आ० चतरभूज कौम महाजन सा० देहित का राहिन दर्ज रेकार्ड है एवं वादीगण उक्त भूमि पर काबिज कास्त है। खातेदारों की खातेदारी अधिकार की भूमि पर पूर्व में ही निजी रहन को विलोपित किये जाने के निर्देश प्रदत्त है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा खसरा संख्या 645 रकबा 1.1088 हैक्टेयर व खसरा संख्या 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1655 हैक्टे० वाके ग्राम सेन्दडी पटवार मण्डल देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है पर दर्ज राहिन प्रभूलाल आ० चतरभूज कौम महाजन के नोट को हटवाया जावे। शेष रेकार्ड यथावत रखा जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

E. Singh
(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपसंज्ठ अधिकारी
तालेडा

तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है पर दर्ज राहिन प्रभुलाल आ0 चतरभुज कौम महाजन के नोट को हटाया जावे। शेष रेकार्ड यथावत रखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

नीज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 13 माह 02 वर्ष 2024 को जारी की गई।

मोहर

हरबिन्दर डी.सिंह
(हरबिन्दर डी.सिंह)
उपसुण्ड अधिकारी
तालेडा